निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 462) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

12 मार्च 2015

सं0 22/नि0सि0(सम0)–02–08/2009/625—श्री चन्द्रशेखर पासवान, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा के पदस्थापन अवधि में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में प्रथम चरण में सम्पादित जमींदारी बांध निर्माण कार्यों की जॉच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त कार्य में पायी गयी अनियमितता के लिए श्री चन्द्रशेखर पासवान, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता से विभागीय पत्रांक 316 दिनांक 18.02.10 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न आरोप गठित करते हुए श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 268 दिनांक 04.03.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

(i) आपके द्वारा स्वीकृत दो प्राक्कलन में क्षेत्रीय पदाधिकारी के द्वारा जंगल क्लीयरेंस के अनुचित प्रावधान को बिना जॉचे स्वीकृत किया गया, जिसके फलस्वरूप रू0 25,361/– का अधिकाई भुगतान हुआ।

(ii) कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण आपके द्वारा नहीं किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री चन्द्रशेखर पासवान, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के सेवानिवृति के कारण विभागीय आदेश सं0 55 दिनांक 16.05.14 (ज्ञापांक 578 दिनांक 19.05.14) द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के निम्न बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 615 दिनांक 22.05.14 द्वारा श्री पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी :–

(i) साक्ष्य के अभाव में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए कार्य से संबंधित दो अदद प्राक्कलन में अनावश्यक रूप से प्रावधानित जंगल क्लीयरेंस को बिना जॉचे स्वीकृति प्रदान करना। फलस्वरूप कुल 25,361/– रूपये का अधिकाई भुगतान हुआ।

(ii) कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया।

श्री पासवान द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में निम्न तथ्य अंकित किये गये है। :–

1. मेरे द्वारा जंगल क्लीयरेंस का प्रावधान स्थल के अनुरूप न्यूनतम अनुसूचित दर पर जंगल क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गयी है एवं कार्य कराया गया है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात उड़नदस्ता दल द्वारा स्थल जॉच जून, 2009 में किया गया। अतः कार्य पूरा होने के बाद जंगल क्लीयरेंस संबंधी आरोप बिना किसी साक्ष्य पर आधारित है।

2. उड़नदस्ता के जॉच के क्रम में स्थल पर कराये गये कार्यों को सही एवं मान्य सीमा के अन्तर्गत पाया है। कार्य के कार्यान्वयन में पर्यवेक्षण किया गया है। जो इसके साथ संलग्न है। इस अंचल के अन्तर्गत तीन प्रमंडलों में कटाव निरोधक कार्य, बॉध के टूटान भराई एवं दो प्रमंडल में जमींनदारी बॉध का उच्चीकरण कार्य चल रहा था। इन कार्यों के पर्यवेक्षण में लगे समय अभाव के कारण उक्त कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण संभव नहीं था।

श्री पासवान से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी ने उड़नदस्ता जॉच प्रतिवेदन में आरोप सं0–1 के समर्थन में कोई साक्ष्य/आधार नहीं देने तथा कार्य समाप्ति के एक वर्ष बाद बॉध पर जंगल नहीं पाने के आरोप को युक्ति संगत नहीं माना है एवं आरोप को प्रमाणित नहीं माना है। परन्तु आरोपित द्वारा अपने बचाव बयान में जमींदारी बॉध पर जंगल क्लीयरेंस का प्राक्कलन में प्रावधान आवश्यकता आधारित था, से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त आरोप को प्रमाणित मानते हुए द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। आरोपित श्री पासवान के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रमाणित हो सके कि आरोपी द्वारा स्वीकृत दोनों प्राक्कलन में प्रावधानित जंगल क्लीयरेंस का कार्य आवश्यकता आधारित था एवं स्थल जॉचोंपरान्त प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतएव आरोप सं0–1 जो बिना स्थल जॉच के प्राक्कलन में क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा प्रावधानित जंगल क्लीयरेंस कार्यमद की स्वीकृति प्रदान किये जाने के कारण कुल 25,361/– (पच्चीस हजार तीन सौ एकसठ) रूपये का अधिकायी भुगतान हुआ, का आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप सं0–2 के संबंध में श्री पासवान द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में स्वीकार किया गया है कि अंचलाधीन अन्य प्रमंडलों के अधीन चल रहे विभिन्न कार्यों के पर्यवेक्षण में लगे समय के अभाव में इस कार्य का नियमित पर्यवेक्षण नहीं हो सका। आरोपित द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे परिलक्षित हो सके कि अंचलाधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा के अधीन एवं अन्य दो प्रमंडल में चल रहे कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण किया गया हो। अतएव श्री पासवान के विरूद्ध कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है।

इस प्रकार समीक्षोपरान्त श्री चन्द्रशेखर पासवान, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप सं0–1 एवं 2 क्रमशः बिना स्थल निरीक्षण किये प्राक्कलन में प्रावधानित जंगल क्लीयरेंस की स्वीकृति प्रदान करना तथा कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चन्द्रशेखर पासवान, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दंड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः–

1. पेंशन से 5% (पॉच प्रतिशत) की कटौती एक वर्ष के लिए।

तदालोक में श्री चन्द्रशेखर पासवान, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा सम्प्रति सेवानिवृत को उक्त दंड संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 462-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in